संख्या—1596/कार्मिक—2/2002

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन
सचिव,
उत्तरांचल शासन

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव
उत्तरांचल शासन

कार्मिक अनुभाग—2 देहरादूनः दिनांक 08 जनवरी 2003

विषयः अनुशासनिक कार्यवाही में दण्ड देने से पूर्व जॉच रिपोर्ट की प्रति अपचारी अधिकारी/कर्मचारी को उपलब्ध कराना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत संघ एवं अन्य प्रति मोहम्मद रमजान खॉ (सिविल अपील संख्या 571 ऑफ 1985 ए.आई.आर. 1995, सुप्रीम कोर्ट पृष्ठ संख्या 471) में मा. सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दि0 20.11.90 द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि यदि नियुक्ति प्राधिकारी से इतर किसी अधिकारी के माध्यम से जॉच कराई जाय तो जॉच अधिकारी की आख्या उसकी संस्तुतियों सहित आरोपित सरकारी सेवक को सूचनार्थ उपलब्ध कराई जाय, ताकि आरोपित सरकारी सेवक नियुक्ति प्राधिकारी/दण्डन प्राधिकारी के समक्ष निष्कर्षो के विरुद्ध यदि चाहे तो प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर सके।

2— मा. सर्वोच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश द्वारा आदेश निर्गत किये गये थे। इसी परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि अनुशासनिक कार्यवाही के ऐसे मामलों में जहाँ दण्ड दिये जाने का प्रस्ताव हो, पनिश्मेंट एण्ड अपील रूल्स पर जारी अन्य विद्यमान शासनादेशों के अतिरिक्त निम्न प्रक्रिया का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेः—

(1) अनुशासनिक कार्यवाही के मामले में, जॉच यदि नियुक्ति प्राधिकारी से भिन्न किसी प्राधिकारी द्वारा कराई जाय तो इस प्रकार की जॉच के आधार पर निर्णय लेने से पूर्व जॉच अधिकारी की आख्या (उसकी संस्तुतियों सहित) आरोपित सरकारी सेवक को सूचनार्थ उपलब्ध कराई जाय।

(2) जॉच आख्या और दण्ड की संस्तुति अपचारी सेवक को पंजीकृत डाक द्वारा भेजने के कम से कम 14 दिवस तक प्रत्यावेदन प्रतीक्षा के उपरान्त दण्ड के प्रस्ताव पर विचार किया जाय और यदि कोई प्रत्यावेदन प्राप्त हो जाय तो पहले प्रत्यावेदन पर विचार करके निर्णय लिया जाय तथा दण्डादेश में प्रत्यावेदन पर विचार करके निर्णय लेने का उल्लेख किया जाय।

(3) सतर्कता विभाग द्वारा सम्पादित जॉच प्रारम्भिक जॉच की श्रेणी में आती है तथा गोपनीय स्वभाव की होती है। अग्रेत्तर उन्हें विभागीय कार्यवाही में साक्ष्य स्वरूप उद्धृत भी नहीं किया जाता, अतः सतर्कता विभाग द्वारा

सम्पादित जॉच रिपोर्ट की प्रति अपचारी कर्मचारी को उपलब्ध कराने का प्रश्न नहीं उठता।

(4) प्रशासनाधिकरण की जॉच "विभागीय कार्यवाही" की श्रेणी में आती है, अतः उनके आधार पर वृहद् दण्ड देने के पूर्व उसकी प्रति अपचारी कर्मचारी को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।

(5) जॉच आख्या की प्रति उपलब्ध कराते हुए, अपचारी कर्मचारी से जो प्रत्यावेदन/स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाता है, वह संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के अन्तर्गत नैसर्गिक न्याय के कम में सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने की परिधि में आता है। अतएव जॉच अधिकारी की आख्या प्राप्त होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, अपना कोई मन्तव्य निर्धारित किये बिना ही, उसे दण्ड की संस्तुतियॉ, यदि जॉच अधिकारी द्वारा की गई हों, सहित अपचारी कर्मचारी को उपलब्ध कराई जाय तथा उसके द्वारा निर्धारित समय में प्रस्तुत प्रत्यावेदन पर विचारोपरान्त ही दण्ड के विषय में मत स्थिर कर विहित प्रकिया के अनुसार लोक सेवा आयोग से परामर्श प्राप्त किया जाय।

(6) सी.एस.आर. के अनुच्छेद 351ए के तहत दण्ड प्रस्तावित होने की दशा में भी अन्तिम निर्णय लेने के पूर्व जॉच अधिकारी की आख्या अपचारी सरकारी सेवक को उपलब्ध कराई जाय।

3— जांच अधिकारी की जांच आख्या में अपचारी कर्मचारी को दोष सिद्ध न पाया गया हो, परन्तु उपलब्ध साक्ष्यों/साक्षियों के बयानों से नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान हो जाये कि कोई आरोप अपचारी कर्मचारी पर सिद्ध होता है, तब नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अपचारी कर्मचारी को उस आरोप/आरोपों के सिद्ध होने के सम्बन्ध में सकारण निष्कर्ष उपरोक्तानुसार प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए दिया जाये, और उपरोक्तानुसार प्रत्यावेदन के लिए समय दिया जाये । प्रत्यावेदन प्राप्त होने पर विचार करके निर्णय लिया जाये ।

4— अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)
सचिव।

संख्या—1596(1)/कार्मिक—2/2002, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— समस्त मण्डलायुक्त, उत्तरांचल।
2— समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।
3— सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तरांचल।
4— सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल।
5— सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल।
6— निबन्धक, उच्च न्यायालय, नैनीताल।
7— सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(आर. सी. लोहनी)
उप सचिव।